



HAMIRPUR POLICE



METICULOUS INVESTIGATION & PROSECUTION

“प्रभावी पैरवी कर जानबूझकर गम्भीर चोट पहुंचाने वाले 02 अभियुक्तों को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड की सजा दिलाई गई।”



श्रीमान पुलिस महानिदेशक, उत्तर प्रदेश के निर्देश पर चलाये जा रहे ऑपरेशन कन्विकशन अभियान के दृष्टिगत जनपद पुलिस द्वारा गुणवत्तापूर्ण विवेचना व मा0 न्यायालय में समयबद्ध रूप से साक्षियों का साक्ष्य कराकर, सार्थक पैरवी के फलस्वरूप, थाना राठ में पंजीकृत मु0अ0सं0- 840/2009 धारा-307 भा0द0सं0 में सजा दिलाई गई।

उक्त अभियोग में मा0 न्यायालय एडीजे प्रथम कोर्ट जनपद हमीरपुर द्वारा दोषसिद्ध पाये जाने पर अभियुक्तगण 1.प्रेमसागर पुत्र रामभरोसे अहिरवार 2.नरेन्द्र उर्फ नन्दू पुत्र धनीराम अहिरवार निवासीगण ग्राम फरसौलियाना(डुमरियापुरा) थाना राठ जनपद हमीरपुर को धारा-324,325 भा0द0सं0 में दोषसिद्ध करते हुए प्रत्येक को 04-04 वर्ष के कठोर कारावास व 6,000 रुपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।



अभियोजक-
एडीजीसी श्री चन्द्रप्रकाश
गोस्वामी



विवेचक-
उ0नि0 शिवशरण
शर्मा



पैरोकार- थाना राठ
का0 प्रदीप भार्गव